

मिसल नं. :- 19/19.2.2018

अनवान

गुलाबराम बनाम सुरवी इवक्टोर

किस्म मुकदमा :- 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

रीख पेशी हुक्म या कार्यवाही विवरण मय इनिशियल जज पालना

3/2/18

वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का जरिये वकील श्री.....S.C. गार्ग..... पेश किया लिपिक की रिपोर्ट हो चुकी वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 9/4/18 को पेश हो ✓

9/4/18 वकील साथी उत। उत। श्री संजय S.C. को से जवाब पत्रावली पत्रावली विवागता जितायी उत वकील साथी को डी गई। जवाब पत्रावली पत्रावली मिलल विवागता। पत्रावली को रिपोर्ट इ-तत्तु डीनांक 10/5/18 को पेश हो ✓

1-6-2018 पत्रावली ईम्प कोर्ट पन्नीवली में रेफर की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया साथी गुलाबराम पुगश्रीराम जाति जाट निवाली पन्नीवली तहसील टिब्बी नं. अशाशोया सुरवी इवक्टोर पत्नी

मु. नं. 7 कि. नं. 16-17 में दक्षिणी दिशा की तरफ पूर्व
से पश्चिम एक बिल्वा चौड़ा व प्रत्येक बीघा लम्बा
रान्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं प्रमाण दफ्तरिजि
क्रिया गण अग्रार्थी श्री सुरवेवर्कर को तलब
क्रिया अग्रार्थी सुरवेवर्कर पारिषे अधिवक्ता
उपस्थित डा. ए. ए. म. ए. व्हा. सि. व्हा. के माहफूम
से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें प्रार्थी
गुलाब राम द्वारा चाहे गये रान्ता को स्वीकृत
करने का जवाब पेश किया है। न्यायालय परतूर
तहसील डा. ए. ए. सि. व्हा. प्रा. की गडि
तहसील 27 ने अपनी रिपोर्ट पत्रांक (420) डि. मं. क्र.
85.4.2010 से भिजवाई है जिसके अनुसार
अग्रार्थी के रकबा में ले सहमति के आधार पर
रान्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं शशि राणा
के रजम में डा. ए. ए. सि. व्हा. की आपसी सहमति
से तप करली है प्रार्थी ने अपने जवाब
प्रार्थना पत्र में भी शशि तप का शशि प्रा. प्र.
करली है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी गुलाबराम
द्वारा चाहे गये रान्ता अग्रार्थी श्री सुरवेवर्कर
के रकबा - चक्र नं. 30 N 60 के प. नं. 171/258
मु. नं. 7 कि. नं. 16-17 में दक्षिणी दिशा की
तरफ पूर्व से पश्चिम एक बिल्वा चौड़ा
व प्रत्येक बीघा लम्बा रान्ता स्वीकृत किया